न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 13/2016

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीमती शांति देवी पत्नी श्यामलाल पुत्री श्रीमती बिन्दुदेवी(प्रभुराम की पुत्री) जाति भील निवासी राईका बाग, पुरानी पुलिस लाईन के पास, जोधपुर।		1– हरचन्द राम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी बागां, भूरी बेरी जोधपुर। 2– श्रीमती मोहनीदेवी पुत्री प्रभुराम जाति भील निवासी पूंजला, मण्डोर 3– श्रीमती माडूदेवी पुत्री प्रभुराम भील निवासी पूंजला मण्डोर, जोधपुर। 4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या– 789 दिनांक 02.02.2008 ग्राम बागां जो तहसीलदार जोधपुर ने पारित कर खसरा संख्या 336 व 336/2 में प्रभुराम पुत्र लिखमाराम की फौतदगी पर अकेले हरचंदराम के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया।

– – –

उपस्थिति :– **आदेश दिनांक 11.09.2017**

1– अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।
2– प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम बागां तहसील जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.11 बीघा एवं ख.नं. 336/2 रकबा 2.12 बीघा भूमि स्व. लिखमाराम के देहान्त के पश्चात् .उनके तीन पुत्रों प्रभुराम, सुखाराम व नारायणराम के नाम खातेदारी में आया तथा प्रभुराम पुत्र स्व. लिखमाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके एक पुत्र हरचन्दराम के नाम तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण 789 दिनांक 02.02.2008 में स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों मय धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपील संख्या 50/2009 दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए अपने आदेश दिनांक 18.02.2016 के द्वारा मूल अपील अपीलांट को लौटाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 18.04.2016 को प्रार्थना–पत्र मय मूल अपील इस न्यायालय में पुनः प्रस्तुत होने पर अपील (13/2016) दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष सं. 2 (मोहनीदेवी) व 3 (माडुदेवी) दिनांक 14.06.2016 को अजखूद उपस्थित हुई तथा इनकी ओर से वकील श्री महिपाल ने वकालतनामा पेश करने की अण्डरटेकिंग ली परन्तु उसके पश्चात् अद्दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी–4 का नोटिस भी बाद तामील लौटा। प्रत्यर्थीपक्ष–1 को तारीख पेशी 15.02.17 का नोटिस रजिस्टर्ड एडी से भिजवाया गय, परन्तु उपस्थित नहीं हुआ। मूल नामान्तरकरण प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थीपक्ष की ओर दिनांक 01.08.17 कोई उपस्थित नहीं हुआ, न आज कोई उपस्थित हुआ अतः आज अपील में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के तथ्यों के अनुसार वाके ग्राम बागा तहसील जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.11 बीघा एवं ख.नं. 336/2 रकबा 2.12 बीघा भूमि स्व. लिखमाराम के देहान्त के पश्चात् उनके तीन पुत्रों प्रभुराम, सुखाराम व नारायणराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज हुआ तथा परबुराम पुत्र स्व. लिखमाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके एक पुत्र हरचन्दराम (प्रत्यर्थी–एक) के नाम तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण 789 दिनांक 02.02.2008 स्वीकृत किया गया जबकि स्व. परबुराम के तीन पुत्रियों मोहनीदेवी, माडुदेवी एवं बिन्दुदेवी भी है तथा बिन्दुदेवी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी पुत्री अपीलार्थी शांतिदेवी है। अपील में आगे बतलाया कि अपीलार्थी के नाना परबुराम का देहान्त होने के बाद उसके पुत्र हरचन्दराम के साथ साथ अन्य समस्त विधिक प्रतिनिधियों मोहनीदेवी, माडुदेवी व शांतिदेवी (अपीलार्थीया) के नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज किये जाने चाहिए जो नहीं किये गये है। तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व स्व.परबुराम के सभी विधिक प्रतिनिधियों को सुनवाई का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया।

अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादग्रस्त भूमि स्व. परबुराम को उसके पिता स्व. लिखमाराम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा स्व. परभुराम का देहान्त के पश्चात् प्रत्यर्थी सं.–1 को अन्य प्रत्यर्थी–2 व 3 की ओर से किये गये हकतर्कनामा एवं उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। स्व. परबुराम की मृत्यु कब हुई व उसकी पुत्र शांतिदेवी की मृत्यु कब हुई, इसका उल्लेख अपील में नहीं किया गया। कथित हकतर्कनामा सम्पादित होने के पश्चात् एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के तहत क्या स्व. परबुराम की उक्त पैतृक सम्पति में अपीलार्थी हिस्सा पाने की अधिकारीणी है या नहीं ? अपील एक सरसरी कार्यवाही (Fiscale Proceeding) होने से पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है अतः अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने चाहिए।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।